किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की [किसान सम्मान निधि](https://www.drishtiias.com/hindi/) के तहत **किसानों को दिये जाने वाले वार्षिक मानदेय में वृद्धि** की घोषणा की।

- प्रत्येक कृषक परिवार को दी जाने वाली **राशि** को **₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति वर्ष** कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

- वर्तमान में राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से **5.7 मिलियन किसान सहायता प्राप्त कर रहे हैं**, जिसका शुभारंभ **वर्ष 2019** में **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** ने किया था।
- राज्य के **अंतरिम बजट** में वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिये 1,400 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान)

- **परिचय:**
  - भूमिधारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 24 फरवरी, 2019 को PM-किसान का शुभारंभ किया गया था।
- **वित्तीय लाभ:**
  - योजना के अनुसार **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्येक चार माह में **तीन समान किस्तों में 6000/- रुपए प्रतिवर्ष** का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।
- **योजना का दायरा:**
  - यह योजना शुरू में ऐसे **छोटे और सीमांत किसानों (SMF)** के लिये थी, **जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी** किंतु बाद में योजना का दायरा **सभी भूमिधारक किसानों को शामिल करने के लिये** बढ़ा दिया गया था।
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन:**
  - यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है जिसका पूर्ण रूप से वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
  - इसे **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप **उचित फसल स्वास्थ्य और उपज सुनिश्चित करने के लिये** विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है।
  - उक्त प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें साहूकारों के शोषण से बचाना और कृषि में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- **PM-किसान मोबाइल एप:**
  - इसका निर्माण तथा डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** द्वारा किया गया था।
- **वास्तविक रूप से सत्यापन की व्यवस्था:**
  - योजना में निर्धारित **प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत लाभार्थियों का अनिवार्य रूप से वास्तविक सत्यापन** किया जा रहा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hike-in-kisan-samman-nidhi-assistance-to-farmers